संख्या–110 /VI-2 /2011–51(5)2011

119

प्रेषक,
एस0एस0 वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 4 मई, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) के आयोजनागत पक्ष में प्रथम चार माहों हेतु लेखानुदान के माध्यम से बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 तथा आपके पत्र संख्या–101/दो–2308–एन0एस0एस0/2012–13 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वित्तीय वर्ष 2012–13 में युवा कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में ₹13.89 लाख (₹तेरह लाख नवासी हजार) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार ₹ में।)

क0सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	प्रथम 04 माह हेतु प्रस्तावित बजट (आयोजनागत)
1	2204–00–001–01–0104	01– वेतन	667
		02–मजदूरी	1
		03–मंहगाई भत्ता	453
		04–यात्रा व्यय	33
		05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	17
		06–अन्य भत्ते	100
		07–मानदेय	7
		08–कार्यालय व्यय	17
		11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	10
		12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33
		27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	17
		42–अन्य व्यय	17
		45–अवकाश यात्रा व्यय	17
		योग–	1389

........(2)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।
व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं. 11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ (100% के0स0) के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 110/VI-2/2012–51(5)2011 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।